परिवहन आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

सभी महा प्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन

क्रमांक 6471-90 /टी.आर-3
दिनांक:- 29-12-99

विषय :- बसों में बीड़ी सिगरेट तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करने बारे ।

---

बसों में चालक/परिचालक बीड़ी-सिगरेट इत्यादि का सेवन न करें एवं न ही यात्रियों को करने दें, इस बारे में पहले भी कई बार हिदायतें जारी की जा चुकी है । परन्तु पाया गया है कि चालकों/परिचालकों द्वारा इन हिदायतों की पालना नहीं की जा रही । जिस कारण धूम्रपान न करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं परिवहन विभाग की बदनामी होती है ।

2— अतः आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि अपने अधीन कार्यरत सभी चालकों/परिचालकों को कड़े आदेश दें कि वे न तो स्वयं धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों का सेवन करें तथा न ही अन्य यात्रियों को करने दें । चैकिंग के दौरान दोषी पाए गए चालकों/परिचालकों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही की जाए । धूम्रपान निषेध शब्द भी प्रत्येक बस में मोटे अक्षरों में लिखवाएं जाएं ।

इस विषय में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाया जाए ।

कृते: परिवहन आयुक्त, हरियाणा ।